निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (श0)

(सं0 पटना 538) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

12 मार्च 2013

सं0 22/नि0सि0(मोति0)–08–01/2010/330—श्री गिरीश चन्द्र साफी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिकहरना तटबंध प्रमण्डल, मोतिहारी के विरूद्व बाढ़ 2010 के पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्य के लिए निविदा आमंत्रित सूचना सं0–4/2009–10 में ग्रुप सं0–6, 7, 8 एवं 12 से संबंधित निविदा कार्यो के वित्तीय बीड में की गई अनियमितता की जांच मुख्य अभियन्ता, बाल्मीकिनगर द्वारा की गई, जिसमें प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री साफी को अधिसूचना सं0–527 दिनांक 29.3.10 द्वारा निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 602 दिनांक 7.4.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त जांच पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री साफी को प्रशासनिक विफलता के लिए जिम्मेवार माना गया, जिसके फलस्वरूप निविदा के वित्तीय बीड के साथ छेड़छाड़ हुई।

अतएव उक्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–665 दिनांक 8.6.11 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया:–

(i) निन्दन वर्ष 2009–10 के लिए

(ii) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(iii) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु निलंबन अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री साफी द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। इनके द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में अंकित किया गया है कि लोक निर्माण विभाग संहिता अथवा प्रशासी विभाग सहित निगरानी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत किसी परिपत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वित्तीय बिड लिफाफा को तिजोरी में रखा जाय अथवा कार्यपालक अभियन्ता के व्यक्तिगत स्टडी में रखा जाय जिसे इस आधार पर अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया कि प्रमण्डलीय स्तर के पदाधिकारी (कार्यपालक अभियन्ता) होने के नाते इनकी पूर्ण जिम्मेवारी थी कि निविदा दस्तावेज जैसे संवेदनशील अभिलेखों को वे सुरक्षित रखते। उक्त मौलिक जिम्मेवारी का निर्वहन इनके द्वारा नहीं किया जा सका। फलस्वरूप निविदा दस्तावेज के वित्तीय बिड के साथ छेड़छाड़ जैसी गंभीर कार्रवाई हुई।

अतः श्री साफी पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। तदनुसार उक्त निर्णय श्री साफी को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 538-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in